राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2020 जयपुर, दिनांक : 21.03.2020

अधिसूचना

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में स्थित ऐसे निजी अस्पताल एवं निजी मेडिकल कॉलेज जिनकी बैड क्षमता 100 या 100 से अधिक है, को निर्देशित किया जाता है कि उनके यहां उपलब्ध बैड क्षमता के 25 प्रतिशत बैडों को कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित / संदिग्ध रोगियों के ईलाज / भर्ती के लिए आइसोलेशन वार्ड के लिए आरक्षित रखें।

इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित मरीजों के ईलाज हेतु आपके यहां उपलब्ध आई. सी. यू. में भी 25 प्रतिशत बैड आरक्षित रखे तथा समस्त आवश्यक उपकरण एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

21/03/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय / मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
5. समस्त जिला कलक्टर, राज.
6. समस्त निजी मेडिकल कॉलेज / निजी चिकित्सालय
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
9. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
10. निजी / रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 21.3.2020
शासन उप सचिव